[1991] 4 उम० नि० प० 507

हरेन्द्र नारायण सिंह और एक अन्य

बनाम

बिहार राज्य

17 जुलाई, 1991

न्यामूर्ति के० एन० सिंह और पी० बी सावंत

साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 3—पारिस्थितिक साक्ष्य—यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य न होना कि मृतक को जीवित अवस्था में अंतिम बार अभियुक्त/अभियुक्तों के साथ देखा गया था या कि अभियुक्त के औषधालय (डिस्पेंसरी) से जो शव बाहर निकाला गया था और जिसे इक्के पर रख कर गांव ले जाया गया था, वह मृतक का ही शव था—अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता को कायम रखने के लिए प्रतिरक्षा के अभाव का अवलंब नहीं ले सकता—यदि अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई परिस्थितियां निश्चायक रूप से अभियुक्तों को अपराध कारित करने वाले व्यक्ति के रूप में इंगित करने या उनके निर्दोष होने की धारणा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो अभियुक्त की दोषसिद्धि के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता और वह अपास्त कर दिया जाएगा।

मृतक, जिसके दो पुत्र थे, चार माह की गर्भवती विधवा महिला थी। उसे उसके पेट में हो रहे दर्द के उपचार के बहाने अभियुक्त अपीलार्थी, जो एक होम्योपेथिक डाक्टर था, के औषधालय पर ले जाया गया था। हालांकि उसे औषधालय ले जाए जाने का वास्तविक प्रयोजन उसके भ्रूण को नष्ट करना था जो उसके पेट में था। उसकी डाक्टर अभियुक्त के औषधालय में हत्या कर दी गई थी और उसका शव एक इक्के में रख कर उसके ग्राम ले जाया गया था और एक अन्य महिला अभियुक्त के मकान के आंगन में रखा गया था। अभियोजन साक्षी सं० 11 को एक लड़के से ज्ञात यह हुआ था कि एक अन्य महिला अभियुक्त के आंगन में एक शव रखा हुआ था। वह उस महिला अभियुक्त के मकान पर गया और पूछताछ किए जाने पर उसने उसे बताया था कि कुछ व्यक्तियों ने मृतक की हत्या करने के पश्चात् उसके शव को उसके मकान के भीतर रख दिया था। मकान के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उस महिला अभियुक्त ने अभि० सा० 11 को चाबियां सौंप दीं, जिसने दरवाजे के ताले को खोला और मकान के अन्दर प्रवेश किया था और मृतक के शव को आंगन में जमीन पर पड़ा हुआ पाया था। वह पुलिस थाने पर गया था और पुलिस को मामले की सूचना दी थी। अन्वेषण अधिकारी ने उस महिला अभियुक्त के मकान से शव को बरामद किया और मृत्यु समीक्षा की थी और शव को शव-परीक्षा के लिए भेज दिया था। पुलिस ने सात अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किए थे। विचारण न्यायालय के समक्ष मामले के लम्बित रहने के दौरान दो अभियुक्तों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए विचारण केवल शेष पांच अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया था। विचारण

1991(7) eILR(PAT) SC 1

न्यायालय ने महिला-अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया, किन्तु विचारण न्यायालय ने शेष पांच अभियुक्तों को दण्ड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और धारा 315/34 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया था। अभियुक्तों द्वारा अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय ने दो अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया था, किंतु इसने अभियुक्त अपीलार्थी और एक अन्य अभियुक्त की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्धि को कायम रखा। उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त अपीलार्थी और एक अन्य अभियुक्त ने दो अपीलें फाइल की हैं। अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। चूंकि सम्पूर्ण मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए उन सिद्धांतों का निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है जो, अभियुक्त की दोषसिद्धि को पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित करने में न्यायालय का मार्गदर्शन करते हैं। यह दांडिक विधि-शास्त्र का मुख्य सिद्धांत है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पूर्णतया सिद्ध किया जाना चाहिए, जिससे अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपरिहार्य हो और इस प्रकार साबित किए गए तथ्य अभियुक्त की निर्दोषिता की किसी भी परिकल्पना का वर्जन करते हुए केवल अभियुक्त की दोषिता की धारणा से संगत होने चाहिए। (पैरा 5)

दांडिक विधि-शास्त्र का एक अन्य आधार-भूत नियम यह भी है कि यदि पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में दिए गए साक्ष्य के आधार पर दो मत संभव हैं, जिनमें से एक अभियुक्त की दोषिता की ओर और दूसरा उसकी निर्दोषिता की ओर इंगित करता है, तो न्यायालय को अभियुक्त के अनुकूल पश्चात्वर्ती मत को अपनाना चाहिए। (पैरा 6)

उच्चतम न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है और मामले की विभिन्न परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार किया है। उच्चतम न्यायालय की राय में, दो सुस्पष्ट परिस्थितियां हैं, जो अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हैं। अभियोजन पक्ष ने केवल इस प्रभाव का साक्ष्य पेश किया है कि रामनाथ सिंह और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के औषधालय से एक शव बाहर निकाला गया था, और उसे इक्के पर रख कर ग्राम दिब्बी ले जाया गया था। अभियोजन साक्षियों ने मात्र यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने एक शव को इक्के पर रखे जाते हुए और ग्राम दिब्बी को ले जाते हुए देखा था। तथापि अभियोजन साक्षियों में से किसी ने भी यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि उसने शव के चेहरे को देखा था या पहचान लिया था। ऐसे साक्ष्य के अभाव में यह मान लेना युक्तियुक्त नहीं होगा कि जो शव औषधालय से बाहर निकाला गया था और इक्के पर रखा गया था, वह मृतक का ही शव था। साक्षियों द्वारा शव को पहचान लेने के अभाव में यह अभिनिर्धारित करना विधिसम्मत नहीं है कि जो शव, डाक्टर-अभियुक्त के औषधालय से बाहर निकाला गया था, यह मृतक का था। अभियोजन पक्ष के मामले में और एक अन्य महत्वपूर्ण कमी है। अभियोजन पक्ष इस बाबत कोई साक्ष्य पेश करने में असफल रहा कि मृतक को जब वह जीवित थी, सिद्धदोष अभियुक्त और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया था और उसे उपचार के लिए डाक्टर-अभियुक्त के औषधालय में उस समय भर्ती किया गया था जब वह जीवित थी। ऐसे किसी भी साक्ष्य के अभाव में अनेक सम्भावनाएं और अधि सम्भाव्यताएं हैं, उनमें

1991(7) eILR(PAT) SC 1

से एक संभावना यह हो सकती है कि मृतक को चिकित्सीय उपचार के लिए औषधालय पर उस समय लाया गया हो जब यह पाया गया हो कि किसी ने उसका गला घोंट दिया है। इसके अतिरिक्त इस तथ्य की बाबत भी कोई साक्ष्य नहीं है कि जब मृतक औषधालय के भीतर थी, तब सिवाए अपीलार्थियों के अन्य कोई व्यक्ति उसके पास नहीं गया था। ऐसे किसी साक्ष्य के अभाव में यह मान लेना विधिसम्मत नहीं होगा कि मृतक का दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा अभियुक्त अपीलार्थियों की मौनानुकूलता से उसके औषधालय में गला घोंट दिया गया था। केवल यह कारण कि अपीलार्थी अपनी प्रतिरक्षा में ऐसा कोई अभिवचन करने में असफल रहे, यह अभियोजन पक्ष के मामले को कोई समर्थन नहीं देता है। अभियोजन पक्ष को अपने स्वयं के साक्ष्य के आधार पर सफलता पानी है और दोषिता को कायम रखने के लिए वह प्रतिरक्षा के अभाव का अवलम्ब नहीं ले सकता है क्योंकि अपीलार्थियों के विरुद्ध ऐसी धारणा करने के लिए कोई न्यायौचित्य नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई परिस्थितियां, निश्चायक रूप से अपीलार्थियों को अपराध कारित करने वालों के रूप में इंगित करने या उनकी निर्दोषिता की धारणा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। चूंकि अभियोजन पक्ष यह स्पष्ट करने के लिए आवश्यक तथ्यों को साबित करने में असफल रहा कि मृतक जब जीवित अवस्था में थी तब अपीलार्थियों के साथ अंतिम बार देखी गई थी या कि शव जिसे इक्के पर ले जाया गया था, मृतक का था, अत: उच्च न्यायालय द्वारा केवल अपीलार्थी की प्रतिरक्षा में किए गए मिथ्या स्पष्टीकरण के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना न्यायोचित नहीं है। उच्चतम न्यायालय के मतानुसार उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय दोनों ने अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने में त्रुटि की थी। (पैरा 13 और 14)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[1985]	[1985] 1 उम० नि० प० 1080=(1985) 1 एस० सी० आर० 88 : शरद बिरधीचंद बनाम महाराष्ट्र राज्य;	6
[1973]	[1973] 3 उम० नि० प० 1011=(1973) 2 एस० सी० सी० 793 : शिवाजी साहब राव बोबड़े और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य;	6
[1952]	(1952) 3 एस० सी० आर० 109 : हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य।	5

दांडिक अपीली अधिकारिता : दांडिक अपील संख्या 578/88 और 728/89.

1983 की दांडिक अपील संख्या 97 और 87 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 15-7-1986 को दिए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपीलें।

4. विचारण न्यायालय के समक्ष, अभियोग पक्ष ने मामले के समर्थन में 14 साक्षियों को पेश किया था किंतु हत्या के आरोप के समर्थन में कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य या प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था। अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। विचारण न्यायालय ने श्रीमती तिलेश्वर कुंवर को दोषमुक्त कर दिया, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 201 के अधीन अपराधों से आरोपित किया गया था, किंतु विचारण न्यायालय ने शेष अभियुक्तों अर्थात् रामनाथ सिंह, ईश्वर शाह, हरेन्द्र नारायण सिंह और बिश्वनाथ सिंह उर्फ बिस्सू को, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन और धारा 315/34 के अधीन अपराधों के लिए भी दोषसिद्ध किया था। अभियुक्तों द्वारा अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय ने ईश्वर शाह, बिश्वनाथ सिंह उर्फ बिस्सू को दोषमुक्त कर दिया था किंतु उसने डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह और रामनाथ सिंह की भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्धि को कायम रखा। इससे व्यथित होकर डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह और रामनाथ सिंह ने इन दो अपीलों को फाइल किया है।

5. अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि किसी भी अभियोजन साक्षी ने अपीलार्थियों के विरुद्ध उनके द्वारा वह अपराध कारित किए जाने के लिए उन्हें दोषसिद्ध किया गया है, कोई प्रत्यक्ष परिसाक्ष्य नहीं दिया है। विचारण न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य का अवलम्ब लिया है। चूंकि सम्पूर्ण मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए उन सिद्धान्तों का निर्दिष्ट किया लाना आवश्यक है जो अभियुक्त की दोषसिद्ध को पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित करने में न्यायालय का मार्गदर्शन करते हैं। यह दांडिक विधि शास्त्र का मुख्य सिद्धान्त है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पूर्णतया सिद्ध किया जाना चाहिए जिससे अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपरिहार्य हो और इस प्रकार साबित किए गए तथ्य अभियुक्त की निर्दोषिता की किसी भी परिकल्पना का वर्जन करते हुए केवल अभियुक्त की दोषिता की धारणा से संगत होने चाहिए। हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य[1], वाले मामले में, इस न्यायालय ने पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए मूल्य और आधारभूत सिद्धान्तों को अधिकथित किया था। न्यायमूर्ति महाजन ने न्यायालय की ओर से निम्न मत व्यक्त किया था—

> "यह स्मरण करना उचित होगा कि उन मामलों में जहां साक्ष्य पारिस्थितिक प्रकृति का है, वहां वे परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, प्रथमतः पूर्ण रूप से साबित होनी चाहिए। और इस प्रकार साबित किए गए समस्त तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की धारणा से संगत होने चाहिए। इसके अरिरिक्त परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चहिए, जो साबित किए जाने को प्रस्तावित धारणा के अरिरिक्त प्रत्येक धारणा का वर्जन करें। दूसरे शब्दों में, साक्ष्य की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न

---

[1] (1952) 3 एस० सी० आर० 109.

1991(7) eILR(PAT) SC 1

छोड़ता हो और वह ऐसा होना चाहिए जो यह दर्शित करे कि समस्त मानवीय अधिसंभाव्यता में वह कृत्य अभियुक्त द्वारा कारित किया गया है।"

6. ये सिद्धांत, शिवाजी साहेब राव बोबड़े और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य[1], वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा दुहराए गए थे, जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि जहां अभियोजन पक्ष का मामला केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित होता है, वहां साबित किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता से संगत होने चाहिए अर्थात् उनसे इस के सिवाय अन्य किसी धारणा का अनुमान न लगाया जा सके कि अभियुक्त ही दोषी है। न्यायालय ने इसके अतिरिक्त मत व्यक्त किया कि परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और उन्हें साबित किए जाने वाली धारणा के सिवाय, प्रत्येक सम्भाव्य धारणा का वर्जन करना चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए जिससे अभियुक्त की निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष के लिए किसी भी युक्तियुक्त आधार का वर्जन हो सके और परिस्थितियों से यह दर्शित होना चाहिए कि समस्त मानवीय अधिसंम्भाव्यता में यह कृत्य, अभियुक्त द्वारा ही कारित किया गया हो सकता है। ये सिद्धान्त इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में अविचल रूप से अधिकथित किए हैं, इन समस्त विनिश्चयों को निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है। तथापि, हम शरद बिरधीचंद बनाम महाराष्ट्र राज्य[2], वाले मामले में दिए गए विनिश्चय को निर्दिष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम रखने में उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले का अवलम्ब किया गया है। शरद बिरधीचंद वाले मामले में इस न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध साबित की गई परिस्थितियों और तथ्यों पर अभियुक्त के स्पष्टीकरण के अभाव या मिथ्या स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए सतर्कता का एक टिप्पण किया था कि मिथ्या स्पष्टीकरण को अभियुक्त के विरुद्ध एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में इस्तेमाल करने से पूर्व न्यायालय को स्वयं का यह समाधान करना चाहिए कि (1) अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य की श्रृंखला की विभिन्न कड़ियां समाधानप्रद रूप से साबित कर दी गई हैं। (2) उक्त परिस्थितियां युक्तियुक्त निश्चितता के साथ अभियुक्त की दोषिता का संकेत देती है; और (3) परिस्थितियां समय और स्थिति की दृष्टि से नैकट्य में हैं। समस्त शर्तों के पूरा होने पर ही केवल न्यायालय अभियुक्त के मिथ्या स्पष्टीकरण या मिथ्या प्रतिरक्षा को, न्यायालय के आश्वासन के प्रति एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकता है और इससे अन्यथा नहीं। दांडिक विधि-शास्त्र का एक अन्य आधारभूत नियम यह भी है कि यदि पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में दिए गए साक्ष्य के आधार पर दो मत संभव हैं, जिसमें से एक अभियुक्त की दोषिता की ओर और दूसरा उसकी निर्दोषिता की ओर इंगित करता है, तो न्यायालय को अभियुक्त के अनुकूल पश्चात्-वर्ती मत को अपनाना चाहिए। हमने इन सिद्धान्तों का स्मरण यह अभिनिश्चित करने के लिए किया है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट करने में इन सिद्धांतों को सही तौर से लागू किया है।

7. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया साक्ष्य इन परिस्थितियों को साबित करने से संबंधित है कि (1) श्रीमती जगिया देवी, विधवा, (श्रीमती तिलेश्वर कुंअर—अभियुक्त

[1] [1973] 3 उम० नि० प० 1011=(1973) 2 एस० सी० सी० 793.

[2] [1985] 1 उम० नि० प० 1080=(1985) 1 एस० सी० आर० 88

के भाई की पुत्री) की तारीख 22-9-1973 को मृत्यु हो गई थी। (2) अभियोजन साक्षी सं० 6 डाक्टर आनन्द मोहन द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के अनुसार जगिया देवी की मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप कारित हुए स्वासावरोध से हुई थी। डाक्टर जिसने शव परीक्षा की थी, का यह मत था कि जगिया देवी की हत्या गला घोंट कर की गई थी। (3) तारीख 22-9-1973 और तारीख 23-9-1973 की मध्यरात्रि को, डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के औषधालय से शव, अभियुक्त रामनाथ सिंह और बिश्वनाथ सिंह उर्फ बिस्सू द्वारा बाहर निकाला गया था और ईश्वर शाह और डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह की उपस्थिति में एक इक्के पर रखा गया था। श्रीमती जोता कुअर, (रामनाथसिंह अपीलार्थी की मां) भी वहां पर उपस्थित थी। (4) अभियोजन साक्षी सं० 10, अमानत खान के इक्के पर शव रखा गया था और उसे ग्राम दिब्बी ले जाया गया था। रामनाथसिंह, विश्वनाथ सिंह और जोता कुअर भी शव के साथ दिब्बी गए थे। (5) जगिया देवी का शव, श्रीमती तिलेश्वर कुअर अभियुक्त के आंगन से बरामद किया गया था।

8. इन परिस्थितियों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने रामनाथ सिंह और डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कायम रखी थी, क्योंकि इसके मत में रामनाथ सिंह का जगिया देवी की हत्या करने का हेतु था क्योंकि वह विधवा होते हुए भी चार माह की गर्भवती महिला थी। हत्या, डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के औषधालय में कारित की गई थी जहां उसे पेट में दर्द के उपचार के लिए ले जाया गया था। विचारण न्यायालय ने श्रीमती तिलेश्वर कुअर को दोषमुक्त कर दिया था, जिसके मकान से शव बरामद किया गया था। अपील में, उच्च न्यायालय ने ईश्वर शाह और विश्वनाथ सिंह उर्फ बिस्सू को भी दोषमुक्त कर दिया था। अभियोजन साक्ष्य और परिस्थितियां जिनके आधार पर रामनाथ सिंह और डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह दोषसिद्ध किए गए हैं, उन्हीं के समान हैं जो ईश्वर शाह और बिश्वनाथसिंह उर्फ बिस्सू के मामले को लागू हैं, किंतु उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया और इसके साथ ही इसने रामनाथसिंह और डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह की दोषसिद्धि को, उसी साक्ष्य और परिस्थितियों के आधार पर, उनमें कोई अंतर न होने पर भी, बनाए रखा। रामनाथ सिंह और डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह की दोषसिद्धि को कायम रखने में उच्च न्यायालय ने जिस मुख्य परिस्थिति पर विचार किया था वह यह थी कि जगिया देवी का शव डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के औषधालय से बाहर निकाला गया था और रामनाथ सिंह द्वारा अभियोजन साक्षी सं० 10 अमानत खान के इक्के पर रखा गया था। इस साबित परिस्थिति को देखते हुए उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला था कि समस्त सम्भाव्यता में जगिया देवी की हत्या डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह की मौनानुकूलता से उसके औषधालय में की गई थी और तत्पश्चात् शव इक्के पर ग्राम दिब्बी ले जाया गया था। और श्रीमती तिलेश्वर कुअर के आंगन में रख दिया गया था। यह उपधारणा कि, रामनाथसिंह ने डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह की मौनानुकूलता से उसके औषधालय में जगिया देवी की हत्या गला घोंट कर कारित की थी, अनुमान पर आधारित है और उक्त उपधारणा को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई भी निश्चायक परिस्थिति नहीं है।

9. उच्च न्यायालय ने डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह और रामनाथ सिंह अपीलार्थियों को हत्या का दोषी ठहराने में अभियोजन साक्षी सं० 10 अमानत खान के साक्ष्य पर

1991(7) eILR(PAT) SC 1

अत्यधिक अवलंब लिया है। अभियोजन साक्षी सं० 10 अमानत खान एक इक्कावाला था, जो सवारियों को भाड़े पर ले जाता था, वह ग्राम बगौरा का निवासी था, जहां डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह का औषधालय स्थित था। अमानत खान ने यह साक्ष्य दिया है कि रात्रि में लगभग 2-00 बजे रामनाथ सिंह, डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह और बिश्वनाथ सिंह उर्फ बिस्सू अपीलार्थियों ने उसे जगाया था और एक मरीज को ग्राम दिब्बी ले जाने के लिये उससे प्रार्थना की थी। उसने पहले, रात्रि के उस विषम प्रहर में अपने इक्के को चलाने से इंकार कर दिया था किंतु कुछ समय पश्चात् वे पुनः वापस आये थे और उस पर मरीज को ग्राम दिब्बी ले जाने के लिए डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के औषधालय पर अपना इक्का ले जाने के लिए दबाव डाला था। उनके अनुरोध पर वह अपने इक्के को डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के औषधालय पर ले गया था, वहां औषधालय पर उसने ईश्वर शाह, जगन्नाथ और श्रीमती जोता कुअर (अपीलार्थी रामनाथ की मां) को उपस्थित पाया था। उसके अनुसार रामनाथ और मृतक बिश्वनाथ, अपीलार्थी डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के औषधालय से एक शव लाये थे और उसे इक्के पर रखा था। रामनाथ सिंह, बिश्वनाथ सिंह उर्फ बिस्सू और श्रीमती जोता कुअर भी इक्के पर बैठे थे। उनकी प्रार्थना पर वह उन्हें ग्राम दिब्बी ले गया था जहां रामनाथ और बिश्वनाथ उर्फ बिस्सू ने श्रीमती तिलेश्वर कुअर के मकान पर शव को इक्के से उतारा था। अमानत खान के परिसाक्ष्य का, अभियोजन साक्षी सं० 3 दुखन माझी, अभियोजन साक्षी सं० 4 बिश्वेश्वर चौकीदार और अभियोजन साक्षी सं० 5 शिवदत्त द्वारा समर्थन किया गया है। अनका परिसाक्ष्य केवल इस तथ्य से संबंधित है कि अपीलार्थी रामनाथ सिंह और बिश्वनाथ सिंह इक्के पर बैठे हुए थे, जिस पर डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के औषधालय से लिये गए शव को ले जाया जा रहा था। इन साक्षियों के परिसाक्ष्य का अवलंब लेते हुए उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला था कि मृतक श्रीमती जगिया देवी की हत्या, डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के औषधालय पर की गई थी और शव उनके द्वारा इक्के पर ग्राम दिब्बी ले जाया गया था और श्रीमती तिलेश्वर कुअर के आंगन में रखा गया था। उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय दोनों ही यह देखने में असफल रहे कि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने को कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि श्रीमती जगिया मृतक, डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के औषधालय पर उस समय लायी गई थी, जब वह जीवित थी। इसके अतिरिक्त इस बाबत भी कोई साक्ष्य नहीं है कि उसे औषधालय कौन लाया था और किस अवस्था में लाया था। एकमात्र साक्ष्य, जो अभियोजन पक्ष ने इस बाबत प्रस्तुत किया है यह है कि डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के औषधालय से एक शव बाहर निकाला गया था और रामनाथ सिंह और अन्यों द्वारा इक्के पर रखा गया था और ग्राम दिब्बी ले जाया गया था।

10. उच्च न्यायालय को अभियोजन पक्ष के मामले की इस दुर्बलता का ज्ञान था, तब भी इसने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को संभवतः नैतिक आधारों पर कायम रखा था। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 3 में निम्न मत व्यक्त किया—

> "यद्यपि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गए 14 साक्षियों की परीक्षा की गई है किंतु हत्या का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य या प्रत्यक्षदर्शी विवरण नहीं है। तथापि परिस्थितियों और अन्य सापांश्विक बातों को साबित करने के लिए भी साक्षी बिलकुल भी सुसंगत नहीं हैं।"

11. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों को करने के पश्चात् सामान्यतया उच्च न्यायालय को अभियोजन पक्ष का मामला नामंजूर कर देना चाहिए था, जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित था किंतु ये बात बड़ी आश्चर्यजनक है कि उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त संप्रेक्षणों के बावजूद, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम रखा।

12. डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के मामले पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि वह अविश्वसनीय प्रकृति का व्यक्ति था। यह मत इस आधार पर व्यक्त किया गया था कि यद्यपि वह एक होम्योपेथिक डाक्टर था किंतु उसके औषधालय से ऐलोपेथिक दवाईयां बरामद की गई थीं। हमारी राय में, डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के औषधालय से मात्र ऐलोपेथिक दवाईयों की बरामदगी, आवश्यक रूप से यह प्रकट नहीं करती है कि वह अविश्वसनीय प्रकृति का व्यक्ति था। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि होम्योपेथिक डाक्टर भी मरीजों को कभी कभी ऐलोपेथिक उपचार की सलाह दिया करता है। ऐलोपेथिक दवाईयों की बरामदगी के तथ्य का अपराध कारित करने से, जिसके लिए डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह को दोषसिद्ध किया गया है, कोई संबंध या नाता नहीं है। उच्च न्यायालय ने इसके अतिरिक्त यह मत व्यक्त किया कि जब मृतक का शव औषधालय से रामनाथ सिंह और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा बाहर निकाला गया था, घटनास्थल पर डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह उपस्थित था, इसलिए वह अपने मकान पर हो रहे कार्यों से इतनी निकटता से संबद्ध था कि कोई भी उसकी सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता था। इसके अलावा, डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य या परिस्थिति नहीं थी। यह टिप्पण करना महत्वपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार जब मृतक का शव औषधालय से बाहर निकाल कर इक्के पर रखा जा रहा था, तब ईश्वर शाह और बिश्वनाथ सिंह उर्फ बिस्सू अभियुक्त भी डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के साथ औषधालय पर उपस्थित थे, तब भी उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। उच्च न्यायालय डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए कोई निश्चित (स्पष्ट) कारण देने में असफल रहा है।

13. हमने अभिलेख पर के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है और मामले की विभिन्न परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार किया है। हमारी राय में, दो सुस्पष्ट परिस्थितियां हैं जो अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हैं। अभियोजन पक्ष ने केवल इस प्रभाव का साक्ष्य पेश किया है कि सिद्धदोष अभियुक्त और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा (अभियुक्त-डाक्टर)-अपीलार्थी के औषधालय से एक शव बाहर निकाला गया था और उसे इक्के पर रख कर ग्राम दिब्बी ले जाया गया था। अभियोजन साक्षियों ने मात्र यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने एक शव को इक्के पर रखे जाते हुए और ग्राम दिब्बी ले जाते हुए देखा था। तथापि अभियोजन साक्षियों में से किसी ने भी यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि उसने शव के चेहरे को देखा था या पहचान लिया था। ऐसे साक्ष्य के अभाव में, यह मान लेना युक्तियुक्त नहीं होगा कि जो शव औषधालय से बाहर निकाला गया था और इक्के पर रखा गया था, वह मृतक जगिया देवी का ही शव था। साक्षियों द्वारा शव को पहचान लेने के अभाव में यह अभिनिर्धारित करना विधिसम्मत नहीं है कि जो शव, डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के औषधालय से बाहर निकाला गया था, वह जगिया देवी

1991(7) eILR(PAT) SC 1

का था। अभियोजन पक्ष के मामले में और एक अन्य महत्वपूर्ण कमी है। अभियोजन पक्ष इस बाबत कोई साक्ष्य पेश करने में असफल रहा कि मृतक जगिया देवी को जब वह जीवित थी रामनाथ सिंह और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया था और उसे उपचार के लिए डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह के औषधालय में उस समय भर्ती किया गया था जब वह जीवित थी। ऐसे किसी भी साक्ष्य के अभाव में अनेक संभावनाएं और अधिसंभाव्यताएं हैं, उनमें से एक संभावना यह हो सकती है कि मृतक को चिकित्सीय उपचार के लिए औषधालय पर उस समय लाया गया हो जब यह पाया गया हो कि किसी ने उसका गला घोंट दिया है। इसके अतिरिक्त इस तथ्य की बाबत भी कोई साक्ष्य नहीं है कि जब मृतक औषधालय के भीतर थी, तब सिवाए अपीलार्थियों के अन्य कोई व्यक्ति उसके पास नहीं गया था। ऐसे किसी साक्ष्य के अभाव में यह मान लेना विधिसम्मत नहीं होगा कि मृतक का, रामनाथ सिंह द्वारा डाक्टर हरेन्द्र नारायण सिंह की मौनानुकूलता से उसके औषधालय में गला घोंट दिया गया था। केवल यह कारण कि अपीलार्थी अपनी प्रतिरक्षा में ऐसा कोई अभिवचन करने में असफल रहे, यह अभियोजन पक्ष के मामले को कोई समर्थन नहीं देता है। अभियोजन पक्ष को अपने स्वयं के साक्ष्य के आधार पर सफलता पानी है और दोषिता को कायम रखने के लिए वह प्रतिरक्षा के अभाव का अवलंब नहीं ले सकता है क्योंकि अपीलार्थियों के विरुद्ध ऐसी धारणा करने के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई परिस्थितियां, निश्चायक रूप से अपीलार्थियों को अपराध कारित करने वालों के रूप में इंगित करने या उनकी निर्दोषिता की धारणा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। चूंकि अभियोजन पक्ष यह स्पष्ट करने के लिए आवश्यक तथ्यों को साबित करने में असफल रहा कि मृतक जब जीवित अवस्था में थी तब अपीलार्थियों के साथ अंतिम बार देखी गई थी या कि शव जिसे इक्के पर ले जाया गया था, मृतक जगिया देवी का था, अतः उच्च न्यायालय द्वारा केवल अपीलार्थी की प्रतिरक्षा में किए गए मिथ्या स्पष्टीकरण के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि करने के लिए परिस्थितियों की शृंखला को पूर्ण करने के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना न्यायोचित नहीं है।

14. पूर्वोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय दोनों ने अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने में त्रुटि की थी। तदनुसार, हम अपीलों को मंजूर करते हैं और अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं।

अपीलें मंजूर की गईं।

अनू०/प्र०